UPEW010024962022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी०ए०),एक्ट/न्यायालय कक्ष संख्या–2, इटावा।
पीठासीन अधिकारी–(SRI KUMAR PRASHANT),(उच्चतर न्यायिक सेवा)
यू०पी० 6296
सिविल प्रकीर्ण (आर्बीटेशन)संख्या–43/2022
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगरा बनाम श्रीमती उमा देवी।

दिनांक–25.03.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 3 ग व आपत्ति 15 ग पर पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3 ग

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 3 ग मय शपथपत्र 4 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई आगरा में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत है और विभागीय कार्यानुक्रम में मुकदमें से भली भांति परिचित है। प्रश्नगत अभिनिर्णय दिनांक 25.10.2021 को पारित किया गया है, जिसकी हस्ताक्षरित प्रति धारा 31(5) आर्बीट्रेशन एण्ड कन्शीलिएशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत शपथकर्ता को नहीं दी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.05.2022 को आर्बीट्रेटर के कार्यालय में प्रश्नगत अभिनर्णय के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रति की मांग की गई तो बताया गया कि यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु उसे नकल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कराना होगा तभी प्रमाणित प्रति दी जायेगी तब शपथकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उसी दिन आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो दिनांक 06.05.2022 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुयी और तत्काल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को समय सीमा के अंदर मानते हुये न्यायहित में स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से आपत्ति 15 ग प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया। विपक्षी की ओर से आपत्ति 15 ग मय शपथपत्र 16 ग में कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र अवैधानिक, अनाधिकृत, निराधार असत्य तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में कोई पर्याप्त आधार दर्शित नहीं किए गये हैं। धारा 34(3)आर्बिट्रेशन एण्ड कान्सीलियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत कोई प्राविधान विलम्ब क्षमा करने का नहीं है और न प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश के पारित होने से तीन माह की अवधि के पश्चात्

कोई याचिका अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम प्रस्तुत की जा सकती है और प्रार्थनापत्र विलम्ब क्षमा का संधारणीय प्रचलनीय नहीं है। प्रश्नगत आदेश के पारित होने के पश्चात् अधिकतम एक माह के अन्दर ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में आर्बीट्रेटर के आदेश दिनांक 25.10.2021 को चुनौती दी गई है और तीन माह का समय जनवरी सन् 2022 हो जाता है। तत्पश्चात् एक माह का समय फरवरी 2022 में समाप्त हो जाता है और याचिका न्यायालय में दिनांक 13.05.2022 को प्रस्तुत की गई है। प्रार्थनापत्र मनगढ़न्त बिना किसी प्राविधान के प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र बदनियती के साथ दिया गया है, सशर्त प्रार्थनापत्र है, विकल्प विरोधाभाषी है और याची स्वयं विलम्ब होना स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रार्थनापत्र सद्भावी नहीं है और जिस आदेश को चुनौती दी गयी है, आर्बीट्रेटर के समक्ष वाद संख्या 2258/2019 श्रीमती उमा देवी बनाम सक्षम प्राधिकारी में उमा देवी के साथ–साथ श्री देवी भी प्रार्थिनी/याचिनी थी, जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और पूर्ण व सही पक्षकार के अभाव में याचिका व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र का विचार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से शपथपत्र परियोजना निदेशक संजय वर्मा का प्रस्तुत किया गया है, अत्यधिक निराधार है। याचिका आर्बिट्रेटर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 की विधिवत् प्रतिलिपियां पक्षकारान को प्रेषित हुई है, विधिक प्राविधानों का पूर्ण पालन हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के आदश से सन्तुष्ट रहे और पश्चात् चिन्तन करके ही प्राविधानों का दुरूपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से दिनांक 05.05.2022 का तथ्य प्रतिलिपि प्राप्त करने का दर्शित है, असत्य, निराधार है, अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु दर्शित किया गया है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से विधि व्यवस्था असम अर्बन वॉटर सप्लाई व सीवेज बोर्ड बनाम मैसर्स सुभाष प्रोजेक्टस एण्ड मार्केटिंग लि० 2012 (91) ए०एल०आर० 268, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम राम निरंजन व अन्य 2021 (147) ए०एल०आर० 417 एवं यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम पॉपुलर कन्ट्रक्शन कं० 2001(8) सुप्रीम कोर्ट केसेस 470 प्रस्तुत की गयी है।

मैंने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 34(3) आर्बीट्रेशन एण्ड कोंसिलेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि यदि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने में कोई विलम्ब हुआ हो तो उसे क्षमा करते हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की कृपा की जाये।

सिविल प्रकीर्ण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण आवेदक द्वारा उसे अभिनिर्णय दिनांक 25.10.2021 की हस्ताक्षरित प्रति धारा 31(5) आर्बीट्रेशन एण्ड कन्शीलिएशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत आवेदक को नहीं दिये जाने तथा अभिनिर्णय दिनांक 25.10.2021 की प्रति दिनांक

06.05.2022 को प्राप्त होना दर्शाया गया है। कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि विधि के अनुसार विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन का दिया जाना आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से आवेदक द्वारा दिनांक 05.05.2022 को प्रश्नगत अभिनिर्णय के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रति की मांग करते हुए आवेदन किया गया लेकिन आवेदक की ओर से इतने लम्बे विलम्ब के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विपक्षी की ओर से आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आर्बीट्रेटर के आदेश दिनांक 25.10.2021 को चुनौती दी गई है और तीन माह का समय जनवरी सन् 2022 में समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात् एक माह का समय फरवरी 2022 में समाप्त हो जाता है। याचिका न्यायालय में दिनांक 13.05.22 को अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जोकि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

धारा **34(3)ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996** के अनुसार An application for setting aside may not be made after three months have elapsed from the date on which the party making that application had received the arbitral award or, if a request had been made under section 33, from the date on which that request had been disposed of by the arbitral tribunal:

Provided that if the Court is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the said period of three months it may entertain the application within a further period of thirty days, but not thereafter.

स्पष्ट है कि धारा 34(3)आर्बीट्रेशन एण्ड कान्सीलिएशन एक्ट 1996 के अनुसार आर्बीट्रल अवार्ड निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र आर्बीट्रल अवार्ड प्रार्थी को प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं यदि किसी संतोषजनक कारण से वह तीन माह के अन्दर न्यायालय में अवार्ड निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे तीस दिन के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए परन्तु उसके बाद वह विधि अनुसार न्यायालय में आर्बीट्रल अवार्ड निरस्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था असम अर्बन वॉटर सप्लाई व सीवेज बोर्ड बनाम मैसर्स सुभाष प्रोजेक्टस एण्ड मार्केटिंग लि० 2012(91)ए० एल०आर० 268 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''Applicability of the provisions of the Limitation Act applicable to matters of arbitration covered by 1996 Act save and except to the extent its applicability has

been excluded by express provisions of section 34(3)of the 1996Act."

विधि व्यवस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम राम निरंजन व अन्य 2021(147) ए०एल० आर० 417 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि Once award sought to be challenged under section 33 of Act–Limitation will commence from date of disposal of said application. If application filed beyond three months and 30 days as prescribed therefore, Court does not possess power to condone delay.

विधि व्यवस्था यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम पॉपुलर कन्ट्रक्शन कं० 2001(8) सुप्रीम कोर्ट केसेस 470 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि S.5, Limitation Act, 1963 not applicable to proceeding under S.34 for setting aside arbitral award–Words "but not thereafter" in proviso to sub–section (3)amount to an express exclusion within meaning of S. 29(2), Limitation Act.

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत अभिनिर्णय दिनांक 25.10.21 को पारित किया गया था जिसकी हस्ताक्षरित प्रति धारा 31(5)ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 के अन्तर्गत शपथकर्ता को नहीं दी गयी, परन्तु प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि उसे अभिनिर्णय की हस्ताक्षरित प्रति नहीं दी गयी तो उसने प्रश्नगत अभिनिर्णय की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि पाने के लिए क्या प्रयास किये ? जबकि धारा 31(5) ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि "After the arbitral award is made, a signed copy shall be delivered to each party." प्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 05.05.22 को आर्बीट्रेशन के कार्यालय में प्रश्नगत अभिनिर्णय के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रति की मांग की गयी तो बताया गया कि यह पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वयं प्रार्थी के कथन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा प्रश्नगत अभिनिर्णय, जोकि दिनांक 25.10.2021 को पारित किया गया है, उसके करीब छः माह के बाद प्रश्नगत अभिनिर्णय के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रतिलिपि की मांग की गयी। इतना विलम्ब प्रार्थी द्वारा क्यों किया गया, यह उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं धारा 34(3)ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 के अनुसार प्रार्थी को प्रश्नगत अभिनिर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर आर्बीट्रल अवार्ड को निरस्त किये हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था एवं इसके उपरान्त तीस दिनों के संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ भी वह न्यायालय में अवार्ड निरस्तीकरण हेतु

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता था परन्तु उसके द्वारा बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अत्यधिक विलम्ब से न्यायालय में आर्बीट्रल अवार्ड निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जोकि विधि अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाले जाने का पर्याप्त आधार परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा जानबूझकर सिविल प्रकीर्ण को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सिविल प्रकीर्ण विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दर्शाया गया कारण(हेतुक)पर्याप्त नहीं है। अतः प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र को संस्थित किये जाने में हुआ विलम्ब उपमर्षित (क्षमा)किये जाने योग्य नहीं है।

प्रार्थनापत्र तद्नुसार अस्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 3ग उपरोक्तानुसर अस्वीकार किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति 15ग निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कुमार प्रशान्त)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी
(पी0ए0) एक्ट/न्या0कक्ष सं0 2,
इटावा।
25.03.2023

Digitally signed by KUMAR PRASHANT
Date: 2023.03.25 17:04:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court